रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2162] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937
No. 2162] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2727(अ).—भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री तपन राय को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव सुश्री अंजुली चिब दुग्गल के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/23/2006-आर.ई.]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 09.03.1992 के का.आ. 195 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा उसमें का.आ. 761(अ) दिनांक 07.10.1993, का.आ. 719(अ) दिनांक 17.10.1996, का.आ. 765 (अ) दिनांक 03.09.1998, का आ. 277 (अ) दिनांक 28.3.2000, का.आ. 88(अ) दिनांक 31.01.2001, का.आ. 813 (अ) दिनांक 22.08.2001, का.आ. 827(अ) दिनांक 21.07.2003, का.आ. 1207 (अ) दिनांक 27.10.2004, का. आ. 731(अ) दिनांक 18.05.2006, का. आ. 2619(अ), दिनांक 14.10.2009, का.आ. 476(अ)

दिनांक 04.03.2011, का.आ. 2030 (अ.) दिनांक 23.09.2011 और का.आ. 795(अ) दिनांक 18.03.2015 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

New Delhi, the 5th October, 2015

NOTIFICATION

S.O. 2727(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section 3 read with Clause (b), Sub-section (1) of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby appoints Shri Tapan Ray, Secretary, Ministry of Corporate Affairs as Part Time Member of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide Ms. Anjuly Chib Duggal, former Secretary, Ministry of Corporate Affairs with immediate effect and until further orders.

[F. No. 2/23/2006-RE]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published vide S.O. 195(E) dated 9.3.1992 and amended vide notifications S.O. 761(E) dated 7.10.1993, S.O. 719(E) dated 17.10.1996, S.O. 765(E) dated 3.9.1998, S.O. 277(E) dated 28.3.2000, S.O. 88(E) dated 31.1.2001, S.O. 813(E) dated 22.8.2001, S.O. 827(E) dated 21.7.2003, S.O. 1207(E) dated 27.10.2004, S.O. 731(E) dated 18.05.2006, S.O. 2619(E) dated 14.10.2009, S.O. 476(E) dated 04.03.2011, S.O. 2030(E) dated 23.09.2011 and S.O. 795(E) dated 18.03.2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.